

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 3(10)गृह-1/2011

जयपुर, दिनांक 1 FEB 2018

आज्ञा

राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 में यथा उपबंधित सम्यक विज्ञापन के पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आरक्षित सूची में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक 42500/-प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या 15 पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/2006, दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	मैरिट	रोल नं.	अधिकारी का नाम/ पिता का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	खण्ड का नाम/पदस्थापन स्थान
1.	R-1	100930	श्रीमती सुशीला/ श्री भगवाना राम	08.11.1988	GE,WE	विष खण्ड, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

1. विष खण्डों में आरक्षित सूची में चयनित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 12591/2016, 12592/2016 व 12600/2016 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
2. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 के उपबंधों एवं अपेक्षाओं के अनुसार की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों में अधिकथित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यक्षीन है।
3. सेवा में नियुक्त किये गये उक्त अभ्यर्थी द्वारा परीवीक्षा की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है, या कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि, साथ ही सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त राशि वसूली योग्य नहीं होगे। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेगा।
4. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर कार्य ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
5. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरार देय होंगे।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-15 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति उनके चरित्र प्रमाण-पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यक्षीन रहेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण-पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
8. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक क-2 विभाग के परिपत्र संख्या प. 15(1)कार्मिक/ क-2/ 74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

.....2



9. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वै ही है जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है, और जिन्हे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हे अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
12. उक्त चयनित अभ्यर्थी की वरिष्ठता विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.03.2017 के द्वारा प्रयोगशाला में विष खण्ड में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थी के उपरान्त रहेगी।
13. उक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस विभाग को सूचित करेगे। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगे। यदि निश्चित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से

*Sd-*

(कालूराम)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति० मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी-श्रीमती सुशीला पुत्री श्री भगवाना राम, मु० पोस्ट लालास, वाया नावा, जिला नागौर- 341509 (रजिस्टर्ड)
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

*Sd-*

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस